कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-07.10.2024

विषयः-थाना सिन्धोरा पुलिस द्वारा अभियुक्त उत्कर्ष गुप्ता व 01 नफर बाल अपचारी को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की पशु व चोरी करने के उपकरण बरामद।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07/10/2024 को थाना सिन्धोरा पुलिस द्वारा मुखबिर कि सूचना पर सहमलपुर मोड़ के पास से ग्राम दीनदासपुर से पशु चोरी करने वाला अभियुक्त उत्कर्ष गुप्ता व 01 नफर बालअपचारी को गिरफ्तार कर निशानदेही पर 01 अदद पशु (बकरा), 01 हेक्सा ब्लेड, 01 अदद हथौड़ी, 1190 रूपये व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान उपरोक्त दोनो ने बताया कि हमलोग मिलकर ग्राम दिनदासपुर से दिन में ही एक बकरा चोरी किए थे। हेक्शा व ब्लेड के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये कि इसी के मदद से पिछले महीने में हम दोनो मिलकर कटौना प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर 01 अदद स्मार्ट टीवी व 01 अदद मशीन चोरी किये थे जिसको हम दोनो ने किसी अन्जान व्यक्ति को टीवी व मशीन 12000 रूपये में बेच दिया था।आपस में छः छः हजार रूपये बांट लिये थे। जो रूपये बरामद हुआ उसी का बचा हुआ शेष रूपये था। जिसके सम्बन्ध में थाना सिंधोरा पर मु0अ0सं0 131/2024 धारा 331(4), 305 BNS पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. उत्कर्ष गुप्ता पुत्र श्यामसुन्दर गुप्ता निवासी ग्राम बसन्तपुर थाना सिन्धोरा जनपद वाराणसी उम्र 18 वर्ष।
2. बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0 सं0 137/2024 धारा 303(2) BNS थाना सिन्धोरा कमिश्नरेट वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 131/2024 धारा 331(4), 305 BNS थाना सिन्धोरा कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद बकरा।
2. 1190 रूपया नगद (चोरी गये सामान को बेचने पर मिले पैसों के खर्च होने के बाद शेष रुपये)
3. 01 हेक्सा ब्लेड, 01 अदद हथौड़ी (चोरी में प्रयुक्त)
4. 01 वाहन स्पलेण्डर प्रो (चोरी में प्रयुक्त)

अपराधिक इतिहास –

1. उत्कर्ष गुप्ता पुत्र श्यामसुन्दर गुप्ता निवासी ग्राम बसन्तपुर थाना सिन्धोरा जनपद वाराणसी उम्र 18 वर्ष

1. मु0अ0सं0 340/2023 धारा 379/411 आईपीसी थाना लंका, कमि0 वाराणसी,
2. मु0अ0सं0 341/2023 धारा 379/411 आईपीसी थाना लंका कमि0 वाराणसी
3. मु0अ0सं0 346/2023 धारा 411/413 आईपीसी थाना लंका कमि0 वाराणसी
4. मु0अ0सं0 375/2023 धारा 41/411/413 आईपीसी थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी

2. बाल अपचारी उम्र 17 वर्ष के विरुद्ध

1. मु0अ0सं0 63/23 धारा 380/411/457 आईपीसी थाना सिंधोरा पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्वेतान्शु पाण्डेय, थाना सिन्धोरा कमि0 वाराणसी।
2. उ0नि0प्र0 अंकित सिह, थाना सिन्धोरा कमि0 वाराणसी।
3. हे0का0 माधवानन्द सिंह, थाना सिन्धोरा कमि0 वाराणसी।
4. का0 आनन्द सिह, थाना सिन्धोरा कमि0 वाराणसी।
5. का0 शिवशंकर सिंह, थाना सिन्धोरा कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन
कमिश्नरेट वाराणसी ।